भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 749

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र

749. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुपुर में आईसीडीएस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई;

(ग) इन आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध अवसंरचना और संसाधनों की स्थिति क्या है और इस अवधि के दौरान किए गए उन्नयन अथवा संवर्धन क्या हैं; और

(घ) हिन्दुपुर में आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और निधि आवंटन और उपयोग से संबंधित मुद्दे क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) : आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के हिंदूपुर में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की कुल संख्या 330 है।

(ख) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निधि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जारी की गई निधि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	जारी निधि (रुपये लाख में)
2021-22	74460.38
2022-23	80071.09
2023-24	70568.20

(ग) और (घ) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है। इसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। मनरेगा के तहत 10516 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश को कुल 118.27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) के लिए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है। इन बुनियादी ढांचों में भारत नेट (जहां भी संभव हो) के माध्यम से इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई पुस्तकें और शिक्षण सामग्री इत्यादि शामिल हैं। देश भर में कुल 92108 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 2868 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। इसके लिए 15.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शौचालय निर्माण के लिए अनुमोदित लागत प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 36000 रूपये है तथा पेयजल व्यवस्था के लिए अनुमोदित लागत प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 17000 रूपये है जिसे केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार वहन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देश भर में इन आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी सहायिका को जोड़ा जाएगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करेगी ताकि ईसीसीई के घटक को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां जगह उपलब्ध हो।

******